आल इण्डिया सेव एजूकेशन कमेटी द्वारा दिया गया ज्ञापन

1696. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया सेव एजूकेशन कमेटी ने 1986 की शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के विरोध में सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह ज्ञापन किस तिथि पर प्राप्त हुआ था;

(ग) ज्ञापन में शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के विरोध में किन-किन प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया गया है;

(घ) क्या सरकार इन मुद्दों से सहमत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनसे असहमति का क्या आधार है ?

मानव संसाधन विभाग मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। 15 मई, 1992 को आल इण्डिया सेव एजूकेशन कमेटी से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। 26 जून, 1992 को कमेटी को एक विस्तृत उत्तर भेज दिया गया।

(ग) से (ङ) ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, पूर्ण साक्षरता, शिक्षा के व्यावसायीकरण, निजी पहल आदि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी० ई०), 1986 की आलोचना की गई थी। तथापि सरकार का विचार है कि रा० शि० नी०, 1986 समय की कसौटी पर खरी उतरी है। सम्पूर्ण शैक्षिक स्थिति की गहराई से जांच करके और राष्ट्रीय सहमति के आधार पर तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक ढांचा तैयार किया गया ताकि शैक्षिक विकास को पूर्ण दिशानिर्देश दिए जा सकें। यह ढांचा प्रासंगिक बना हुआ है। तथापि, गत कुछ वर्षों में हुए विकास और नीति के कार्यान्वयन के अनुभव के कारण कुछ संशोधन आवश्यक हो गए। इन संशोधनों को 7 मई, 1992 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

Revision of Honorarium for Anganwadi workers

1691. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Anganwadi workers are agitating for the increase of their honorarium for quite some time;

(b) whether Karnataka Government has made any request in this regard; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (KUMARI MAMTA BANERJEE): (a) Yes, Sir. Anganwadi workers and Helpers are demanding an increase in honorarium for some time.

(b) and (c) A reference on the subject was received from Chief Minister, Karnataka in November 1991. Another reference was received from Minister Social Welfare, Karnataka in March, 1992. The following issues have been raised:—

(a) Absorption of Anganwadi workers and helpers as Government servants;

(b) Enhancement of their honorarium;

(c) Payment of minimum wages to Anganwadi workers and Helpers;

(d) Promotional opportunities; and

(e) Payment of pensionary benefits to Anganwadi workers and helpers.

Anganwadi workers and helpers working at Anganwadi Centres are honorary and part-time (4½ hours a day) voluntary workers selected from local community. They cannot be treated as Government employees or given minimum wages as it will be contrary to the concept of community involvement which is the basis of the Integrated Child Development Services Programme. They are given fixed honorarium that has been enhanced from time to time. The matter regarding revision of honorarium of Anganwadi workers and helpers is, however, getting Government's utmost attention. Instructions have been issued to the State Government/U.T. Administrations that they may consider suitable recruitment rules wherein qualified Anganwadi workers can be considered for appointment as Supervisors.

गुजरात में अनधिकृत खुदाई

1692. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में अनेक स्थानों पर खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को मूर्तियां और ऐतिहासिक महत्व की विभिन्न प्राचीन वस्तुएं मिली थीं;

(ख) क्या उक्त विभाग ने आगे खुदाई का कार्य रोक दिया है और उस इलाके में अनधिकृत खुदाई का कार्य हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार उस क्षेत्र में खुदाई का कार्य पुनः शुरू करने और अनधीकृत खुदाई को रोकने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री, (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धोलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात में उत्खनन-कार्य किया है जिससे प्रकाश में निम्न वस्तुए आई:-विभिन्न मिट्टी के बर्तनों के अलावा, चहारदीवारी वाली हड़प्पा काल की बस्ती एवं पूर्ववर्ती वस्तुए, संरचनात्मक अवशेष, एक शिलालेख, मोहरें मुद्रांकनें, पकी मिट्टी की लघु मूर्तियां, शख, ताम्बे एवं पत्थर की पुरा-वस्तुएं ।

(ख से (ङ) इस स्थल पर कोई अनधिकृत उत्खनन-कार्य नहीं किया गया है । तथापि, इस स्थल पर उत्खनन-कार्य का पुनरारम्भ 'पुरातत्व की केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थायी समिति द्वारा सामग्री' आदि' की छानबीन किए जाने और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करता है ।

ग्रामीण शिक्षा के लिए आवंटन

1693. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण शिक्षा के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है जबकि बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) प्राइमरी, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रदत्त सरकारी सहायता, जो 1992-93 की वार्षिक योजना में शिक्षा पर कुल केन्द्रीय परिव्यय का 64.39! है, के लाभ मुख्यतः ग्रामीण